रेल दावा अधिकरण
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
(प्रधान पीठ/Principal Bench)
दिल्ली/Delhi

13/15, माल रोड, दिल्ली-110054
13/15, Mall Road, Delhi-110054

कार्यालय आदेश

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वर्चुअल माध्यम से न्यायालय का संचालन करने के बारे में दिल्ली की माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के अनुपालन में, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2021 के पत्र के तहत आदेश जारी किए गए थे कि रेल दावा अधिकरण 03.01.2022 से 15.01.2022 तक वर्चुअल माध्यम से कार्य करेगा। अब, दिल्ली की माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.01.2022 के अपने आदेश के तहत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वर्चुअल माध्यम से न्यायालय का संचालन करने के लिए दिनांक 30.12.2021 के अपने निदेश को 11.02.2022 तक आगे बढ़ाया है।

दिल्ली की माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 12.01.2022 के उपर्युक्त निदेश को देखते हुए, इस कार्यालय के दिनांक 31.12.2021 के पत्र के तहत जारी आदेश को 11.02.2022 तक आगे बढ़ाया जाता है और रेल दावा अधिकरण, दिल्ली में मामलों की वर्चुअल सुनवाई की मौजूदा प्रणाली को भी 11.02.2022 तक जारी रखा जाएगा। पीठ का संचालन दिनांक 31.12.2021 के आदेश में दिए गए अनुसार ही वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा।

इसे माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

संजय

(संजय घोष)
अपर रजिस्ट्रार

सं. आरसीटी/दिल्ली/वीएम/2020 दिनांक 13.01.2021

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव- II को माननीय अध्यक्ष महोदय की सूचना हेतु
2. माननीय सदस्य (तकनीकी) के निजी सचिव को माननीय सदस्य (तकनीकी) की सूचना हेतु
3. कोर्ट मास्टर
4. पीओ, रेल दावा अधिकरण/दिल्ली
5. बार एसोसिएशन की सूचना हेतु सूचना बोर्ड पर लगाने के लिए
6. संबंधित कर्मचारी को रेल दावा अधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु